

उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 16) की धारा (6) की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, यदि किसी निगम क्षेत्र की सीमा में कोई क्षेत्र शामिल किया जाता है या से बाहर निकाला जाता है तो ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जनसंख्या मौके पर सुनिश्चित की जायेगी तथा निगम की सीटों के पुनः निर्धारण के प्रयोजन के लिये उस निगम की नवीनतम जनगणना के आंकड़ों में शामिल की जायेगी या से निकाल दी जायेगी। जबकि, हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम-3 के उप नियम (2) के नवीनतम प्रावधान के अनुसार किसी निगम क्षेत्र की सीमा में शामिल किये गये या बाहर निकाले गये क्षेत्र के सम्बन्ध में, हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के प्रावधानों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, ऐसी तिथि जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जायें, निगम की सीटों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु विचारणीय होगी।
2. इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अधिनियम 1994 की धारा 6 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) में उल्लेखित प्रावधान हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1973 में उपलब्ध नहीं हैं तथा नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के वार्डबन्दी के कार्य, हरियाणा नगर पालिका परिसीमन नियम, 1977 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार निपटाये जा रहे हैं, जो हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम 7 में भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार उपरोक्त अधिनियम, 1994 की धारा 6 को, 14 नवम्बर, 2022, जिस तिथि को हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम 3 के प्रतिस्थापन के लिए अधिसूचना जारी की गई, से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
3. इसलिए, हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 16) में संशोधन करना आवश्यक है।

(डॉ० कमल गुप्ता)

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

लोक कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का नोटिस

मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों का नोटिस देता हूँ:-

- (क) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रस्तुत किया जाये।
- (ख) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।
- (ग) विधेयक पारित किया जाये।

(डाॅ कमल गुप्ता)

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 से लिया गया उद्धरण

6. निगम के स्थानों का नियतनण. (1) प्रत्येक शासकीय जनगणना के बाद, स्थानों की कुल संख्या, अंततम जनगणना आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी। यदि निगम की सीमाओं में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है या से बाहर निकाला जाता है, तो जनसंख्या ऐसे क्षेत्र के संबंध में तत्काल अभिनिश्चित की जाएगी तथा स्थानों के पुनः नियतन के प्रयोजन के लिए उस निगम के अंततम जनगणना आंकड़ों में जोड़ दी जाएगी अथवा से निकाल दी जाएगी।

(2) सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए नगरपालिका क्षेत्र वार्डों में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विभाजित किया जाएगा।

(3) वार्ड, यथासाध्य, भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्रों तथा भौतिक विशिष्टता, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाएं, यदि कोई हों, संचार तथा सार्वजनिक सुविधा की सुसाध्यता को ध्यान में रखते हुए होंगे।

(4) प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, यथासाध्य, प्रति वार्ड, औसतन जनसंख्या के 10 प्रतिशत तक ऊपर या नीचे के परिवर्तन सहित सम्पूर्ण निगम में एक समान होनी चाहिए।

(5) अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां निगम की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।

व्याख्या.- यहां "जनसंख्या" से अभिप्राय है, आयुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त अमले द्वारा, निगम में द्वार-द्वार जाने के बाद, स्थानीय रूप से यथा अभिनिश्चित जनसंख्या।